निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 18 / 24
दायरा दिनांक :– 16.08.2024
निर्णय दिनांक :– 21/12/25

उनवान

1. सरस्वती शर्मा आयु 37 वर्ष पुत्री श्री संजय कुमार पत्नी श्री लोकेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां हाल निवासी पानी की टंकी के पास मैन रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

प्रार्थीया–

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां राज0

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट
निर्णय दिनांक :– 21/12/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री संजय नागर एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां हाल निवासी पानी की टंकी के पास मैन रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज० की रहने वाली है प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियांत वाके ग्राम बमूलिया जागींर पटवार हल्का बडां तहसील बारां जिला बारां मे वर्तमान आराजियात खाता सं० वर्तमान 210 पुराना 188 मे वर्णित खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म बीड लगानी 0.36 रूपया, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हेक्टर किस्म चाही 2 लगानी 12.24 रूपया, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हेक्टर किस्म गैरमु.चाह, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हेक्टर किस्म बीड लगानी 0.12 रूपया, खसरा नं० 898 रकबा 0.49 हेक्टर किस्म चाही–2 लगानी 17.64 रूपया कुल किता 5 कुल रकबा 0.98 हेक्टर कुल लगानी 30.36 रूपया स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम शामलाती खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे प्रार्थीया का 1/100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलती से सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा 1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है जो राजस्व रिकार्ड के दादाजी की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया है जो गलत नाम है जबकि

अध्यक्ष
सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

प्रार्थीया का वास्तविक सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार है। कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओ का लाभ व अपने खाते व हिस्से की आराजी पर केसीसी ऋण नही उठा पा रही है तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पडा रहा है इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक नाम सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है क्योकि प्रार्थीया के आधारकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थीया का नाम सरस्वती शर्मा है। प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया। किन्तु प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे ममता के स्थान पर सरस्वती शर्मा दर्ज नही किया गया तथा प्रार्थीया अपने खाते व हिस्से की आराजी पर ऋण हेतु पत्रावली बैक मे प्रस्तुत की तो बैक द्वारा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नाम, आधारकार्ड व अन्य दस्तावेज से मिलान नही होने के कारण के.सी.सी. बनाने से मना कर दिया तथा कहा कि आपके राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम आधारकार्ड के अनुसार दर्ज कराकर लाओ तभी के.सी.सी० जारी होगी। इसलिये वाद कारण दिनांक 30.06.2024 को बमुकाम बमूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां मे पैदा हुआ है और वर्तमान मे भी हो रहा है। कि विवादित आराजियात ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां मे स्थित है इसलिये न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है। कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष मे अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे अंकित वर्तमान आराजियात खाता सं० वर्तमान 210 पुराना 188 मे वर्णित खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 898 रकबा 0.49 हेक्टर, कुल किता 5 कुल रकबा 0.98 हेक्टर, वाके ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया जागीर सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 210, पुराना खाता संख्या 188, खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हे0, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 898 रकबा 0.49 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.98

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारां

आधार कार्ड सरस्वती शर्मा, राशन कार्ड, बैंक डायरी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक .10.2010, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां हाल निवासी पानी की टंकी के पास मैन रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज० की रहने वाली है प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियांत वाके ग्राम बमूलिया जागीर पटवार हल्का बडां तहसील बारां जिला बारां मे वर्तमान आराजियात खाता सं० वर्तमान 210 पुराना 188 मे वर्णित खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं० 898 रकबा 0.49 हेक्टर, कुल किता 5 कुल रकबा 0.98 हेक्टर स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम शामलाती खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे प्रार्थीया का 1/100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलती से सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा 1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है जो राजस्व रिकार्ड के दादाजी की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया है जो गलत नाम है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार है। कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओ का लाभ व अपने खाते व हिस्से की आराजी पर केसीसी ऋण नही उठा पा रही है तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पडा रहा है इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक नाम सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है क्योकि प्रार्थीया के आधारकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थीया का नाम सरस्वती शर्मा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष मे अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे अंकित वर्तमान आराजियात खाता सं० वर्तमान 210 पुराना 188 मे वर्णित खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 898 रकबा 0.49 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 0.98 हेक्टर, वाके ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम ममता पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा. देह खातेदार के स्थान पर सरस्वती शर्मा पुत्री श्री संजय कुमार हिस्सा–1/100 जाति–ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराँ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम बमूलिया जागीर के वर्तमान जामबन्दी खाता संख्या 210 किता 5 रकबा 0.98 हे0, में क्र0 सं0 11 पर ममता पुत्री संजय कुमार हि0 1/100 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी (खातेदार) का नाम राजस्व रिकार्ड में नामा0 सं0 930 (विरासत नामा0) दिनांक 23.12.2020 को अपने पिता की मृत्यु उपरान्त फौती नामा0 के जरिये ममता पुत्री संजय कुमार दर्ज हुआ था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का सरस्वती शर्मा दर्ज है। सहखातेदारान हरीश पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण एवं महेश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण जाति प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थीया का नाम सरस्वती शर्मा बताया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी स्वयं का नाम सरस्वती शर्मा पुत्री संजय कुमार बताया है। ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर भी प्रार्थीया का नाम सरस्वती शर्मा बताया गया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सहखातेदारान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर प्रार्थीया का नाम राजस्व ग्राम बमूलिया जागीर के खाता संख्या नया 210 पुराना 188 कुल किता 5 रकबा 0.98 हे0 में ममता पुत्री संजय कुमार हि0 1/100 के स्थान पर ममता उर्फ सरस्वती शर्मा पुत्री संजय कुमार हि0 1/100 दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बमूलिया जागीर तह0 बारां जिला बारां की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 210, पुराना खाता संख्या 188, खसरा नं0 848 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 854 रकबा 0.34 हे0, खसरा नं0 895 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 896 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 898 रकबा 0.49 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.98 हे0, आराजियात में ममता पुत्री संजय कुमार हि0 1/100 के स्थान पर ममता उर्फ सरस्वती शर्मा पुत्री संजय कुमार हि0 1/100 दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष
सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराँ (राज.)

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ